कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:–एफ 16 (वि.मा. सर्कुलर)2007/एफसीए/प्रमुवसं/473 दिनांक: 22.02.2016

समस्त वनाधिकारीगण।

परिपत्र

विषय:–विण्डफार्म स्थापित करने के लिए विण्ड एसेसमेंट स्टडी हेतु वनभूमि में विण्डमास्ट लगाने एवं सर्वे कार्य की अनुमति बाबत।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8–84/2002–एफसी दि. 14.5.2004 द्वारा विण्ड एनर्जी के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसकी प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (सर्कुलर)2004/एफपी/पीसीसीएफ/6264–6413 दि. 16.6.04 से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी हुई है। यूजर संस्था द्वारा विण्डफार्म स्थापित करने से पूर्व सर्वे कार्य किया जाना वांछनीय होता है। भारत सरकार के पत्र दि. 14.5.2004 के पैरा–4 के अनुसार विण्डफार्म सर्वे करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्गदर्शिका के पैरा 1.3 (i) में किये गये प्रावधान लागू होते है।

विण्डफार्म एसेसमेंट स्टडी अथवा विण्डफार्म स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य में राजस्थान रिन्यूवेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लि० (आर.आर.ई.सी.एल.) नोडल एजेंसी है। यथा नोडल एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होने वाले विण्ड एसेसमेंट स्टडी (सर्वे) के प्रकरणों में वन विभाग की ओर से स्वीकृति प्रदान करने के लिए संबंधित वन संरक्षको को इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 3207–3356 दि. 30.4.2007 से अधिकृत किया गया था। उक्त परिपत्र दि. 30.4.07 में आंशिक संशोधन कर वन संरक्षकों के स्थान पर मुख्य वन संरक्षकगण को स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है। मुख्य वन संरक्षकगणों द्वारा उक्त स्वीकृति देते समय भारत सरकार के इस संबंध में जारी पत्र दि. 14.5.04 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्गदर्शिका के पैरा 1.3 (i) एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश No. 8–84/2002–एफसी दि. 22.6.2007, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (सर्कुलर)2005/एफसीए/पीसीसीएफ/6708–6857 दि. 26.7.07 से भिजवायी हुई है में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावें तथा निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावें:–

1. सर्वे के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा जावेगा तथा न ही वनभूमि को कोई क्षति पहुंचाई जावेगी।
2. सर्वे कार्य की अनुमति वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन विभाग द्वारा बनाये गये सैम्पल प्लॉट्स में किसी भी स्थिति में नहीं दी जावेगी।
3. यूजर संस्था द्वारा विण्ड एसेसमेंट स्टडी हेतु प्रत्येक 500 हैक्टर क्षेत्र के सर्वे के लिए अधिकतम 100 मीटर व्यास (up to the area of a circle of 100 mm diameter) में एक विण्ड मैटमास्ट स्थापित किया जा सकता है जिसके लिए रुपये 1.00 लाख प्रति विण्ड मैटमास्ट का पूर्व भुगतान (एकमुश्त) यूजर एजेंसी को सर्वे कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करना होगा।
4. यूजर एजेंसी से जमा की गई उक्त राशि कैम्पा (CAMPA) के बैंक खाते में जमा की जावेगी।
5. एक विण्ड मैटमास्ट स्थापित करने की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि मे हटा लिया जावेगा।
6. यूजर एजेंसी द्वारा वनभूमि में अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

---PTO

मुख्य वन संरक्षकगण उपरोक्तानुसार जारी की गई स्वीकृतियों की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। यूजर एजेंसी के प्रस्तावों को अधिकतम 2 माह में निष्पादन कर दिया जावें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 16 (वि.मा. सर्कुलर)2007/एफसीए/प्रमुवस/ दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान रिन्यूवेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लि0 (आर.आर.ई.सी.एल.), 166, युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर